

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
27.05.2024	<p>सरकार जरिये जिला पुलिस अधीक्षक दौसा बनाम उम्मेद उर्फ सपुडा पुत्र सांवताराम मीना किस्म मुकदमा : इस्तगासा अन्तर्गत गुण्डा एक्ट</p> <p>मु0नं0 39/2014</p> <p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। गैरसायल उम्मेद उर्फ सपुडा पुत्र सांवताराम मीना निवासी मलारना थाना सदर दौसा के विरुद्ध राजस्थान अभ्यस्थ अपराधी अधिनियम 1953 की धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही करने बाबत इस्तगासा जरिये पुलिस अधीक्षक दौसा द्वारा दिनांक 03.3.2014 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल की तलबी हेतु जारी नोटिस की तामील में अंकितानुसार गैरसायल उम्मेद की तामील दिनांक 20.3.2014 को कराई गई है तथा गैरसायल के हस्ताक्षर कारापाल जिला कारागृह दौसा द्वारा प्रमाणित किये गये हैं। जिससे यह स्पष्ट होता है कि गैरसायल जिला कारागृह दौसा में है। ऐसी स्थिति में गैरसायल के विरुद्ध इस न्यायालय में इस्तगासा पेश किये जाने एवं इस न्यायालय द्वारा कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है। अतः इस्तागासा इस आशय के साथ खारिज किया जाता है कि गैरसायल के सम्बन्ध में नवीन अपराधिक रिकॉर्ड के सम्बन्ध में जांच कर नियमानुसार अपेक्षित हो तो नवीन इस्तगासा पेश किया जा सकता है। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक महोदय दौसा को प्रेषित की जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ट अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 27.5.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

(सुमित्रा पारीक)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

